



सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 18.09.2023



मात्र 12 घंटे में हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा आलाकत्ल डंडे सहित किया गया गिरफ्तार ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना भरथना पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17.09.2023 को वादी अनिल कुमार पुत्र महोबबत सिंह निवासी ग्राम बदरियापूठ थाना भरथना जनपद इटावा ने थाना भरथना पर सूचना दी कि दिनांक 15.09.2023 को हमारे पड़ोसी से मेरे घर पर आकर मेरे भाई सर्वेश व परिवार की महिलाओं से मारपीट करने लगे तभी भगवान दास पुत्र मुलायम सिंह ने मेरे भाई के सिर में डंडा मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी । सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना भरथना पर मु0अ0सं0 271/23 धारा 147/149/302 भादवि पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 18.09.2023 को थाना भरथना पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर **मु0अ0सं0 271/23 से संबंधित 02 अभियुक्तों को बाहरपुरा नहर पुल के पास से समय 8.15 बजे गिरफ्तार करते हुये उसकी निशांदाही पर आलाकत्ल डंडा बरामद किया गया ।**

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. भगवान दास पुत्र मुलायम सिंह निवासी ग्राम बदरियापूठ थाना भरथना जनपद इटावा ।
2. पवन कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी नगला राजा थाना भरथना जनपद इटावा

पंजीकृत अभियोग-

- 1 मु0अ0सं0 271/23 धारा 147/149/304 भादवि थाना भरथना जनपद इटावा ।

बरादमगी:-

01. 01 डंडा आलाकत्ल

पुलिस टीम:- निरीक्षक श्री भूपेन्द्र राठी प्रभारी थाना भरथना मय टीम ।